नेपाल धन प्रेषण सुविधा योजना, राष्ट्रीय इलैक्ट्रोनिक निधि अंतरण प्रणाली (एनईएफटी), इलैक्ट्रोनिक क्लियरिंग सर्विस(ईसीएस), तत्काल सकल भुगतान (आरटीजीएस)
पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Frequently Asked Questions on Indo-Nepal Remittance Facility Scheme, National Electronic Funds Transfer (NEFT) System, Electronic Clearing Service (ECS) (In English), Electronic Clearing Service (ECS) (In Hindhi), Real Time Gross Settlement (RTGS) System

BD/2008/21

इलैक्ट्रोनिक समाशोधन सेवा (ई.सी.एस.)
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्र.1 इलैक्ट्रोनिक क्लियरिंग सर्विस (ईसीएस) क्या है?

उ. यह एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में समाशोधन गृह के माध्यम से धन अंतरण का एक तरीका है। इसमें साधारणतया बड़ी संख्या में एक खाते से कई खातों में या कई खातों से एक खाते में धन अंतरित किया जाता है। इसका उपयोग भुगतान और वसूली दोनों के लिए किया जाता है जैसे संस्थाओं द्वारा लाभांश, ब्याज, वेतन व पेंशन आदि का वितरण या सेवा प्रदाता कंपनियों को टेलीफोन, बिजली और सेवा शुल्कों जैसे गृह–कर, पानी कर आदि के भुगतान या वित्तीय संस्थाओं / बैंकों की ऋण किश्तों के लिए या व्यक्तियों के नियमित निवेश के प्रयोजन से किया जाता है।

प्र.2 ईसीएस कितने प्रयोजन के होते हैं? वे किस तरह से एक दूसरे से भिन्न हैं?

उ.ईसीएस दो प्रकार के होते हैं–ईसीएस (क्रेडिट) और ईसीएस (डेबिट)। ईसीएस (क्रेडिट) का प्रयोग एक खाते को डेबिट करते हुए बड़ी संख्या में हिताधिकारियों के खातों में क्रेडिट करने के लिए किया जाता है जैसे लाभांश, ब्याज या वेतन भुगतान।

ईसीएस (डेबिट) में किसी एक संस्था विशेष के खाते में क्रेडिट करने के लिए बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं / खाताधारकों के खातों को डेबिट किया जाता है।

ईसीएस क्रेडिट प्रणाली की कार्यविधि

प्र.3 ईसीएस (क्रेडिट) सौदा कौन आरंभ कर सकता है?

उ. कोई भी संस्था, जिसे अनेक हिताधिकारियों को बड़ी मात्रा में प्रचुर मात्रा में या बार–बार भुगतान करने हों, ईसीएस (क्रेडिट) द्वारा भुगतान आरंभ कर सकता है। ऐसी संस्था ईसीएस यूजर कहलाती है। संस्था किसी अनुमोदित समाशोधन गृह में स्वयं को पंजीकृत करवाने के बाद ईसीएस द्वारा भुगतान आरंभ कर सकती है। ईसीएस समाशोधन में भाग लेने हेतु ईसीएस यूजर को हिताधिकारी की सहमति और उसके खाते का विवरण प्राप्त करना होता है।

इस योजना के अंतर्गत ईसीएस यूजर का बैंक प्रायोजक बैंक कहलाता है और ईसीएस हिताधिकारी खाते के धारक को गंतव्य खाताधारक कहा जाता है। गंतव्य खाताधारक का बैंक अथवा हिताधिकारी का बैंक गंतव्य बैंक कहलाता है।

ऐसे हिताधिकारी भी जो नियमित या बारबार भुगतान प्राप्त करते हैं वे भुगतान कर्ता संस्था से भुगतान करने हेतु ईसीएस (क्रेडिट) तंत्र का उपयोग करने हेतु निवेदन कर सकते हैं।

प्र.4 ईसीएस क्रेडिट प्रणाली कैसे काम करती है?

उ. इस प्रणाली में भुगतान करने के इच्छुक ईसीएस यूजर को किसी एक अनुमोदित समाशोधन गृह में एक विनिर्दिष्ट प्रारूप में आंकड़े प्रस्तुत करने होते हैं। ऐसे अनुमोदित समाशोधन गृहों की सूची अथवा ऐसे केन्द्रों की सूची जहाँ ईसीएस सुविधा उपलब्ध कराई गई है हमारी वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध है।

समाशोधन गृह ऐसे ईसीएस यूजर के खाते में प्रायोजक बैंक के खाते के माध्यम से निश्चित राशि निश्चित दिनांक को डेबिट कर देगा और आगे अंतिम हिताधिकारियों के खातों में क्रेडिट करने हेतु प्राप्त कर्ता बैंकों के खाते में जमा कर देगा।

प्र.5 ईसीएस सुविधा किन केन्द्रों पर उपलब्ध है।

उ. वर्तमान में ईसीएस सुविधा 68 केन्द्रों पर उपलब्ध है और पूरी सूची भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

ईसीएस सुविधा का लाभ उठाने के लिए हिताधिकारियों को इन केन्द्रों पर स्थित किसी बैंक में खाता रखना जरूरी है।

प्र.6 एक हिताधिकारी ईसीएस (क्रेडिट) योजना में कैसे भाग ले सकता है?

उ. हिताधिकारी को ईसीएस सुविधा प्राप्त करने के लिए अपनी सहमति के साथ एक आदेश पत्र (Mandate) प्रस्तुत करना होता है। उसे अपनी बैंक शाखा और खाते का विवरण ईसीएस यूजर को सूचित करना चाहिए। ऐसा प्राधिकार पत्र आदेश पत्र (Mandate) कहलाता है।

प्र.7 क्या हिताधिकारी को इस अधिकार पत्र (Mandate) में कोई परिवर्तन करवाने की आवश्यकता होगी?

उ. हाँ । यदि दी गई जानकारी या खाते संबंधी विवरण में कोई परिवर्तन होता है तो ईसीएस यूजर से मिलने वाले लाभों का जारी रहना सुनिश्चित करने हेतु ईसीएस यूजर को संबंधित परिवर्तन करने हेतु सूचित करना होगा। यदि गंतव्य शाखा पर खाते का विवरण मेल नहीं खाता है तो गंतव्य शाखाएँ अपनी सेवा शाखा के माध्यम से उक्त क्रेडिट को समाशोधन गृह को लौटा देगी।

प्र.8 हिताधिकारियों को जमा के बारे में कौन सूचित करेगा?

उ. यह ईसीएस यूजर का दायित्व है कि वह हिताधिकारी को उस जमा राशि के बारे में सूचित करे जो उसके खाते में जमा होगी। साथ ही वह जमा की प्रस्तावित दिनांक और भुगतान संबंधी विवरण की भी सूचना देगा ताकि हिताधिकारी उसका मिलान अपने बैंक द्वारा दिए गए खाते के विवरण / पासबुक में दर्शाई गई प्रविष्टियों से कर सके।

प्र.9 अंतिम हिताधिकारी को ईसीएस के क्या फायदे हैं?

उ.

- अंतिम हिताधिकारी को शैतिक रूप में पेपर लिखत को जमा कराने हेतु बार–बार बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होती।
- उसे पेपर लिखतों के खो जाने या उनके जालसाजी से भुगतान उठा लेने की चिंता नहीं रहती।
- पेपर लिखतों के मिलने के बाद उनका भुगतान प्राप्त करने में होने वाली देरी से निजात मिल जाती है।

प्र.10 यह योजना कॉरपोरेट निकायों / संस्थाओं जैसे ईसीएस यूजर के लिए कैसे लाभदायक है?

उ.

- ईसीएस यूजर को छपाई, डाक प्रेषण और समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र पर होने वाले खर्चों में बचत होती है।
- डाक से भेजने के दौरान लिखतों के खोने की जो संशवना होती है, वह इसमें नहीं होती।
- पेपर लिखतों को जालसाजी से प्राप्त कर उनका भुगतान उठा लेने संबंधी जालसाजी की जो संशवना होती है वह इसमें नहीं होती।

- यह योजना हिताधिकारी के खाते में निश्चित दिनांक को धनराशि की क्रेडिट सुनिश्चित करने में सक्षम है।

प्र.11 बैंकों को इस योजना के क्या लाभ हैं

- ईसीएस प्रणाली में भाग लेने वाले बैंकों को कागजी कार्रवाई से छुटकारा मिल जाता है।
- कागजी कार्रवाई से भी बैंकों पर भशरी दवाब पड़ता है क्योंकि उन्हें लिखतों को एनकोडिंग करना, समाशोधन गृह में भेजना, उनकी वापसी की निगरानी करना और संबंधित बैंकों व ग्राहकों के साथ संपर्क बनाए रखना होता है।
- ईसीएस में बैंकोंको उनके ग्राहको के भुगतान संबंधी विवरण ही प्राप्त होते हैं। उन्हें केवल खाते के विवरण जैसे नाम, खाता संख्या का ही मिलान करना होता है और धनराशि हिताधिकारी के खाते में डेबिट कर दी जाती है।
- जब कभी विवरण मेल नहीं खाते हैं तो कार्य विधि के अनुसार उन्हें वापस लौटा दिया जाता है।

प्र.12 ग्राहक इन भुगतानों की जानकारी किस प्रकार रख सकता है?

उ. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को यह सलाह दी गई है कि वे ईसीएस यूजर द्वारा उपलब्ध कराई गई लेनदेन संबंधी जानकारी ग्राहकों को दी जाने वाली पासबुक / बैंक विवरण में दर्शाएँ । ग्राहक इन प्रविष्टियों का मिलान भुगतान संस्था से उन्हें प्राप्त सूचना से कर सकते हैं।

प्र.13 क्या इसमें व्यक्तिगत सौदों के लिए धनराशि संबंधी कोई सीमा तय की गईहै?

उ. इस योजना के तहत किसी भी सौदे की धनराशि संबंधी सीमा तय नहीं की गई है।

प्र.14 इसके प्रसंस्करण सेवा / सेवा शुल्क क्या है? क्या यह एक मँहगी सेवा है?

उ. प्रायोजक बैंकों द्वारा ईसीएस यूजर से लिए जाने वाले सेवा शुल्कों को अब भारतीय बैंक ने अविनियमित कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों ने, समाशोधन गृहों का प्रबंध सम्हालते हैं 31 ,मार्च 2009 तक इस सेवा को प्रसंस्करण सेवा शुल्क से मुक्त रखा है।

प्र.15 क्या यह आवश्यक है कि निगमों / संस्थाओं द्वारा निवेशकों से आदेश पत्र (Mandate) लिए जाएँ?

उ. हाँ इस प्रयोजन के लिए एक आदर्श आदेश पत्र निर्धारित किया गया है। एक बार आँकड़े संग्रहित होने पर बैंकों की भुगतान प्रक्रिया आसान हो जाती है। सेबी द्वारा भी निवेशकों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि वे अपने शेयर आवेदन पत्रों पर अपनी खाता संख्या लिखें ताकि इसे लाभांश / ब्याज पत्र पर मुद्रित किया जा सके। खातों का विवरण और आदेश पत्र प्राप्त करना अधिक कठिन नहीं है।

ईसीएस डेबिट प्रणाली

प्र.16 ईसीएस (डेबिट) योजना क्या है?

उ. यह एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत किसी बैंक का खाताधारक ईसीएस यूजर को इस बात केलिए प्राधिकृत कर सकता है कि वह एक निश्चित राशि नियत दिन पर उसके खाते को डेबिट करके वसूल कर सके। ऐसी डेबिट उगाहने के लिए ईसीएस यूजर को

एक प्राधिकार पत्र प्राप्त करना होता है जिसे ईसीएस आदेश पत्र (Mandate) कहते हैं। यह आदेश पत्र खाता रखने वाली बैंक शाखा द्वारा पृष्ठांकित करने होते हैं।

प्र.17 यह योजना कैसे काम करती है।

उ. इस योजना में भाग लेने के इच्छूक ईसीएस यूजर को किसी एक अनुमोदित समाशोधन गृह में स्वयं को पंजीकृत कराना होता है। वर्तमान में ईसीएस सेवा 68 अनुमोदित केन्द्रों पर उपलब्ध है। ऐसे अनुमोदित समाशोधन गृहों की सूची भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध है।

उसे बैंक की प्राप्ति सूचना के साथ प्रतिभागी गंतव्य खाताधारकों से आदेश पत्र (Mandate)प्राप्त करने चाहिए। इस आदेश पत्र की एक प्रति आदाता बैंक के पास उपलब्ध रहनी चाहिए।

ईसीएस यूजर को एक विनिर्दिष्ट फार्म में आँकड़े प्रायोजक बैंक के माध्यम से समाशोधन गृह में प्रस्तुत करने होते हैं। समाशोधन गृह समाशोधन प्रणाली द्वारा गंतव्य खाताधारक के बैंक खाते में डेबिट व प्रायोजक बैंक के खाते में क्रेडिट करता है। प्रायोगजक बैंक द्वारा यह क्रेडिट आगे ईसीएस यूजर के खाते में की जाती है। तय समय सीमा के भीतर प्रसंस्करण नहीं की जा सकने वाली प्रविष्टियाँ समाशोधन गृह के माध्यम से प्रायोजक बैंक को लौटाई जाती है। बैंक समाशोधन प्रणाली के माध्यम से प्राप्त इलैक्ट्रोनिक अनुदेशों को शैतिक रूप में चेक के समान मानकर व्यवहार करेंगे।

प्र. 18. इस योजना के अंतिम हिताधिकारी को क्या लाभ हैं?

उ. समस्या रहित – भुगतान करने हेतु वसूली केन्द्र / बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होती और न ही लंबी कतार में खड़े रहने की आवश्यकता–

मानसिक शांति – भुगतान की अंतिम तिथियों को याद रखने की आवश्यकता नहीं।

ईसीएस यूजर द्वारा नामे राशि (Debits) की निगरानी की जाती है।

प्र.19 यह योजना कॉरपोरेट निकायों / संस्थाओं जैसे ईसीएस यूजर के लिए कैसे लाभदायक है?

उ.

- चेकों की वसूली, उनका भुगतान प्राप्त करने समाधान हेतु प्रशासनिक तंत्र पर होने वाले खर्चों में ईसीएस यूजर को बचत होती है।
- बेहतर नकदी प्रबंध
- पेपर लिखतों को जालसाजी से प्राप्त कर उनका भुगतान उठा लेने संबंधी जालसाजी की संभावना से बचा जा सकता है।
- भुगताने प्राप्ति धीरे धीरे कई दिनों में होने के बजाय सभी भुगतान एक ही दिन में प्राप्त हो जाते हैं।

प्र.20 बैंकों को इस योजना के क्या लाभ हैं?

उ.

- ईसीएस प्रणाली में भाग लेने वाले बैंकों को कागजी कार्रवाही से छुटकारा मिल जाता है।

- कागजी कार्रवाही से भी बैकों पर भशरी दवाब पड़ता है क्योंकि उन्हें लिखतों को एनकोडिंग करना, समाशोधन गृह में भेजना, उनकी वापसी की निगरानी करना और संबंधित बैंकों व ग्राहकों के साथ संपर्क बनाए रखना होता है।
- ईसीएस में बैंकों को उनके ग्राहकों के भुगतान संबधी विवरण ही प्राफ्त होते हैं। उन्हें केवल खाते के विवरण जैसे नाम, खाता संख्या का ही मिलान करना होता है और धनराशि हिताधिकारी के खाते में क्रेडिट कर दी जाती है।
- जब कभी विवरण मेल नहीं खाते हैं तो कार्यविधि के अनुसार उन्हें वापस लौटा दिया जाता है।

प्र.21 क्या एक बार दिया गया आदेश पत्र वापस लिया या रोका जा सकता है?

उ. हाँ आदेश पत्र ठीक उसी तरह से है जिस तरह ग्राहक द्वारा जारी किया गया चेक। इस योजना के अंतर्गत केवल यह बात निर्धारित की गई है कि ग्राहक को ईसीएस यूजर को पूर्व सूचना देनी होती है ताकि ईसीएस आँकड़े बनाते समय उसका ईसीएस (डेबिट) शामिल न किया जाए।

प्र.22 क्या ग्राहक आदेश पत्र के लिए कोई अधिकतम डेबिट, प्रयोजन अथवा वैधता तय कर सकता है?

उ. हाँ। इन सभी बातों का निर्णय ग्राहक व ईसीएस यूजर की इच्छा पर छोड़ा गया है। एक आदेश पत्र में वर्तमान में धनराशि की उच्चतम सीमा, ,प्रयोजन और वैद्यता अवधि भी दी जा सकती है।

प्र.23 ईसीएस सुविधा वर्तमान में किन–किन केन्द्रों पर उपलब्ध है?

उ. वर्तमान में उक्त योजना 15 आरबीआई केन्द्रों पर (अर्थात उन केन्द्रों पर जहाँ भारतीय रिजर्व बैंक समाशोधन गृहों के कार्यों का संचालन करता है) तथा अन्य केन्द्रों पर, जहाँ सरकारी क्षेत्र के बैंक समाशोधन कार्य संचालित करते हैं, कार्य कर रही है। उक्त केन्द्रों की सूची क्रिया विधि संबंधी दिशानिर्देशों के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

प्र.24 इसके प्रसंस्करण / सेवा सेवा शुल्क क्या हैं? क्या यह एक मँहगी सेवा है?

उ. प्रायोजक बैंकों द्वारा ईसीएस यूजर से लिए जाने वाले सेवा शुल्कों को अब भारतीय रिजर्व बैंक ने अविनियमित कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने, जो समाशोधन गृहों का प्रबंध संशलते हैंवे 31 मार्च 2008 तक इस सेवा को प्रंसस्करण सेवा शुल्क से मुक्त रखा है।

प्र.25 कौन सी संस्थाएँ ईसीएस डेबिट योजना में भाग ले सकती हैं?

उ. आवश्यक उपयोगी सेवाएँ प्रदान करने वाली संस्थाएँ जैसे टेलीफोन कंपनियाँ, बिजली आपूर्ती करने वाली कंपनियाँ, बिजली बोर्ड, क्रेडिट कार्ड संबंधी वसूलियाँ, बैंकों व वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण किश्तों की वसूली और म्यूचल फंडों आदि की निवेश योजनाएँ।

<u>ईसीएस केन्द्रों की सूची</u>

क्र.स.	केन्द्र का नाम	क्र.स.	केन्द्र का नाम
रिजर्व बैंक द्वारा संचालित			
01.	अहमदाबाद	09.	जयपुर
02.	भ्रुवनेश्वर	10.	कानपुर
03.	बैंगलोर	11.	मुंबई
04.	कोलकता	12.	नागपुर
05.	चंडीगढ़	13.	नई दिल्ली
06.	चेन्नई	14.	पटना
07.	गुवाहाटी	15.	तिरुअन्तपुरम
08.	हैदराबाद		
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा संचालित			
01.	बड़ौदा	14.	पॉण्डीचेरी
02.	देहरादून	15.	हुबली
03.	नासिक	16.	शिमला (गैर माइकर)
04.	पणजी	17.	त्रिपुर
05.	सूरत	18.	बुर्दवान (गैर माइकर)
06.	त्रिची	19.	दुर्गापुर (गैर माइकर)

07.	त्रिचूर	20.	शोलापुर
08.	जोधपुर	21.	रांची
09.	ग्वालियर	22.	तिरुपति (गैर माइकर)
10.	जबलपुर	23.	धनबाद (गैर माइकर)
11.	राजपुर	24.	नेल्लोर (गैर माइकर)
12.	कालीकट	25.	काकीनाडा (गैर माइकर)
13.	सिलीगुड़ी (गैर माइकर)		
पंजाब नेशनल बैंक द्वारा संचालित			
01.	आगरा	08.	औरंगाबाद
02.	इलाहाबाद	09.	मैसूर
03.	जालंधर	10.	इरोड
05.	लखनऊ	11.	उदयपुर
06.	वाराणसी	12.	गोरखपुर
07.	कोल्हापुर	13.	जम्मू
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा संचालित			
01.	पुणे	02.	जमशेदपुर
03.	सलेम		
स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर द्वारा संचालित		आंध्रा बैंक द्वारा संचालित	

01.	इन्दौर	01.	विशाखापट्टनम
कॉरपोरेशन बैंक द्वारा संचालित		बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा संचालित	
01.	मंगलौर	01.	कोयंबटूर
		02.	राजकोट
स्टेट बैंक ऑफ त्रावनकोर द्वारा संचालित		सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा संचालित	
01.	कोच्ची / एर्नाकुलम	01.	भोपाल
कैनरा बैंक द्वारा संचालित		ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स द्वारा संचालित	
01.	मदुरै	02.	अमृतसर
यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा संचालित		स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद द्वारा संचालित	
01.	हल्दिया (गैर माइकर)	01.	विजयवाड़ा
स्टेट बैंक ऑफ जयपुर द्वारा संचालित			
01.	भीलवाड़ा		